


प्रतिबंधित नक्सली संगठन एम०सी०सी० का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

दिनांक: 23 मार्च 2018

कल दिनांक 22 मार्च 2018 को एटीएस की वाराणसी टीम व चंदौली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में थाना-चंदौली क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन रोड से नक्सल गतिविधियों में संलिप्त नक्सली कृष्ण मुरारी पनिका उर्फ कुमकुम उर्फ धुरंधर उर्फ महादेव उम्र 23-वर्ष पुत्र स्व० छोटेलाल निवासी गोरथरा, थाना मडिहान जनपद – मिर्जापुर को यूपी एटीएस की वाराणसी टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पिस्टल .32 बोर व 3 कारतूस बरामद हुए हैं। कृष्ण मुरारी प्रतिबंधित संगठन MCC (Maoist Communist Centre) का सक्रिय सदस्य था।

- कृष्ण मुरारी पनिका की आरंभिक शिक्षा पास के ही एक गाँव कलवारी में हुई थी जहाँ इसने इन्टर तक की शिक्षा प्राप्त की।
- पिता की मृत्यु के पश्चात् आर्थिक तंगी व दबंगों द्वारा मारपीट कर जमीन से बेदखल कर कब्जा कर लेने के कारण यह हिमांचल प्रदेश में जाकर एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने लगा। फैक्ट्री में काम करने के दौरान साथ में काम करने वाले रहमान अंसारी निवासी-गढ़वा, झारखण्ड से हुई जो उसी के साथ गैस कटर का काम करता था। रहमान ने ही मुरारी को अपना बदला लेने हेतु नक्सली संगठन में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया था।
- प्रतिबंधित संगठन से जुड़ने के बाद कृष्ण मुरारी पनिका को संगठन द्वारा “महादेव” के नाम से बुलाया जाने लगा।
- कृष्ण मुरारी पनिका को लेडुइया पहाड़ी शेरघाटी, गया, बिहार के जंगलों में राइफल, एके-47, एके-56, इन्सास, कार्बाइन, एल०एम०जी० आदि अत्याधुनिक शस्त्रों को चलने का प्रशिक्षण दिया जाता था जिसमें इसके साथ 20-22 और लोग भी थे। सभी अलग अलग प्रदेशों से आये थे जिनमें यूपी से मुरारी अकेला था। इन्हें बीच-बीच में नक्सल-साहित्य भी पढ़ने के लिए दिया जाता था। मुरारी ने बताया की बांसडीह की पहाड़ी पर इसे माईन्स लगाने की भी ट्रेनिंग दी गयी। इस संगठन की महिला सदस्यों में कुछ

अभियुक्त का विवरण



कृष्ण मुरारी पनिका उर्फ कुमकुम उर्फ धुरंधर उर्फ महादेव पुत्र स्व० छोटेलाल निवासी – गोरथरा, थाना-मडिहान, मिर्जापुर, उ०प्र०।

आपराधिक इतिहास

1-मु.अ.सं.196/17 धारा 147, 148, 149, 32 3, 341, 342, 427, 435, 436, 440, 504, 506, 120बी, भादवि एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, एव 3/16/18/19/20/38 यूपी एक्ट 1967 थाना आमस, जिला गया, बिहार

2-मु.अ.सं.-91/18 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली, उ०प्र०।

नाबालिक लड़कियां भी हैं जिन्होंने आधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रखा है। इस संगठन की प्रत्येक टीम को 3 वाकी टाकी वायरलेस सेट दिये जाते थे।

- कृष्ण मुरारी पनिका कुख्यात नक्सली संजीत दा व विवेक की टीम में कार्यरत रहा इसने अपने नक्सली टीम के साथियों के साथ निम्न घटनाओं को कारित किये जाने की बात स्वीकार की है।
 - आमस सोलर प्लांट को बम से उड़ा दिया तथा वहां काम कर रहे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया।
 - औरंगाबाद, बिहार में क्रेशर में आग लगा कर 14 वाहनों को जला दिया गया।
- सड़क बनाने वाले ठेकेदारों, ईंट भट्टे के मालिकों व अन्य ठेकेदारों से लेवी के रूप में लिया गया धन इसकी पार्टी की आय का मुख्य स्रोत होता है।

कृष्ण मुरारी पनिका से विस्तृत पूछताछ जारी है।

असीम अरुण-, आईजी यूपी एटीएस-